प्रेस विज्ञप्ति

01.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों व अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 27/06/2025 को दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक नवीन रहेजा व अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न समूह आवास परियोजनाओं में आवासीय फ्लैट देने का वादा करके निवेशकों और घर खरीदने वालों से धोखाधड़ी से बड़ी रकम एकत्र की गई, लेकिन वादा किए गए फ्लैट सौंपने में विफल रही।

तलाशी के दौरान कई अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा पाया गया जिसे जब्त कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।

****